उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरूर्गुरूतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-2118/301st Meeting/2019/ /204668 **Dated:** 12 JUL 2019

SHOW CAUSE NOTICE U/S 17 of the NCTE Act, 1993

WHEREAS, recognition was granted by the Northern Regional Committee to **Chacha Vishal Singh Degree College, Pura Goverdhan, Agra, Uttar Pradesh** vide Order No. NRC/NCTE/UP-2118/2007/27633-27639 dated 13.09.2017 for **B.Ed.** course of one years duration with an annual intake of 100 students from the academic session w.e.f. 13.01.2006 and Revised Recognised order was issued to the institution for two years B.Ed. Course No. NRC/NCTE/UP-1261/2015/101177-82 dated 20.05.2015 with an annual intake 100 seats (one unit of 50 students each) from the academic session 2015-2016.

2. AND WHEREAS, on consideration of the conditions mentioned in Section 17 (1) of the NCTE Act, 1993 meriting withdrawal of recognition, the matter was placed before NRC in its 301st Meeting held on 09th to 11th May, 2019 in light of पत्रांक :- सम्ब0 /8214/2019 दिनांक 15.02.2019 received from Dr. B. R. A. University, Agra against the 134 institutions including the above institution alongwith the letter No पत्रांक :- सम्ब0/8010/2019 दिनांक 19.01.2019 written by the university to the institution and the Committee, decided to issue Show Cause Notice under Section 17 of the NCTE Act, 1993 giving specified time for submission of reply / documents on the following grounds:-

- Dr. B. R. A. University, Agra, stated in their letter No. पत्रांक :- सम्ब0/8010/2019 dated 19.01.2019 that एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु विनियमन 2014 लागू किया गया है उक्त विनियमन के प्रावधान के अनुसार आपके महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रो के पठन पाठन हेतु एक यूनिट (50 छात्र) पर 08+03 (विषिष्ट विषय शिक्षक – फाईन आर्ट, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा)=11 तथा दो यूनिट (100 छात्र) पर 16 शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना चाहिये था, किन्तु विनियमन लागू होने के 04 वर्ष बाद भी आपके महाविद्यालय द्वारा न तो कोर–फैकल्टी और न ही विशिष्ट विषयों यथा – फाईन आर्ट, संगीत, शारीरिक शिक्षा हेतु शिक्षक अनुमोदित कराये गये है जो कि विनियमन 2014 के अनुसार नियम विरुद्ध है साथ ही माननीय कुलपति जी के दिनांक 16.11.2017 के आदशानुसार महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षको का अनुमोदन 05 वर्ष पूर्ण होने पर शासनादेश संख्या 2218 / सत्तर–2–2011–16(409) / 2010 दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में विश्वद्यािलय से पुनः अनुमोदन करना अनिवार्य है, ऐसे कार्यरत शिक्षक जिनका अनुमोदन एक से अधिक महाविद्यालयों में है उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया गया है इस संबंध में सभी महाविद्यालयों की लॉगिन पर विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या संम्ब / 4213 / 2017 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा सूचना अपलोड की गयी थी तथा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः एक पत्र संख्या सम्ब / 4361 / 2017 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा भी आपके महाविद्यालय में संचालित स्थायी बी0एड0 पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न वॉछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय की लॉगिन पर सूचना अपलोड करायी गयी थी। परन्तु आपके द्वारा उपरोक्त पत्रों के सापेक्ष में किसी तरह की सूचना आजतक उपलब्ध नही करायी गयी, जो कि संबद्धता शर्तो का उलंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय प्रबन्धन / प्रशासन उपरोकत पाठ्यक्रम को संचालित करने में रुचि नही ले रहा है।

3. AND WHEREAS, in light of above letter of university and decision of NRC, the institution is directed to submit the letter issued by affiliating university to the institution to approve the faculty for above course with the detail of their qualification etc. in the proforma attached with this letter. The institute is also directed to submit the details of salary disbursed to the faculty along with 6 Months Bank statement.

US(MM) Soyos(Anw) / NRC(CP)

Contd……

4. NOW, THEREFORE, the institution is required to submit the representation/compliance accompanied with an affidavit from the authorized representative of the Principal/Management. The representation along with an affidavit must reach this office within the time specified at the end.

5. In case the reply submitted is incomplete or factually incorrect or not received in this office by the date mentioned in the Sr. No. 8 of this letter, then it shall be treated as incomplete reply to this notice.

6. It is expected that your reply shall reach this office through Courier / Registered AD/ Speed Post only. NCTE does not expect applicants to personally visit the RC Office for any reason whatsoever.

7. Your reply, complete in all respects must reach this office on or before 11/08/2019.

8. Receipt of this Notice may please be acknowledged.

Your faithfully,

R. Vijaykumar 11/07/19

(Dr. Vijaykumar.R)
Regional Director

To,

The Principal,
Chacha Vishal Singh Degree College,
Pura Goverdhan, Agra, Uttar Pradesh

Copy to: -

The Manager/Secretary,
Chacha Vishal Singh Degree College,
Pura Goverdhan, Agra, Uttar Pradesh

R. Vijaykumar 11/07/19

(Regional Director)

Encl.: - 1. Proforma of Teaching Staff.
2. Copy of above referred Letter received from Dr. B. R. A. University, Agra, UP.

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक–सम्ब0 / .... / 2019
दिनांकः– .... / 2019

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
सैक्टर–10, द्वारिका, नयी दिल्ली।

विषयः– डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध स्थायी बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों से शिक्षक अनुमोदन एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि इस पत्र के साथ संलग्न 134 स्थायी बी0एड0 संचालित महाविद्यालयों को शिक्षण कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों के अनुमोदन एवं अन्य वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु सूचना पत्र संख्या सम्ब0 / 7979 से 8112 दिनांक 19.01.2019 के द्वारा डाक (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। (पत्रों की प्रति संलग्न है) परन्तु सम्बन्धित महाविद्यालयों के द्वारा उपरोक्त सूचना के सापेक्ष किसी तरह का पत्राचार नही किया गया एवं महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यकम के शिक्षण कार्य हेतु मानकानुसार शिक्षक न होने के कारण प्रवेशित छात्रों का पठन पाठन नही कराया जा रहा है जो कि सम्बद्धता शर्तो का उल्लंघन है, एन0सी0टी0ई0 द्वारा भी छात्रों को अध्यापन कराने हेतु शिक्षकों के सम्बन्ध में महाविद्यालयों को समय–समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये जाते रहें हैं। अधिकतर स्थायी बी0एड0 पाठ्यकम हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों ने कई वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय से शिक्षक अनुमोदित तो करा लिये हैं परन्तु महाविद्यालय में उनकी कार्यरत होने के सम्बन्ध में वेतन भुगतान का विवरण मॉगने पर उपलब्ध नही कराया जा रहा है। एन0सी0टी0ई0 एक्ट 1993 की धारा 14 के क्लॉज 3 में उल्लिखित है।

"On receipt of an application by the Regional Committee from any institution under sub-section (1), and after obtaining from the institution concerned such other particulars as it may consider neccessary, it shall-

(a) if it is satisfied that such institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfils such other conditions required for proper functioning of the institution for a course or training in teacher education, as may be determined by regulations, pass an order granting recognition to such institution, subject to such conditions as may be determined by regulations; or

(b) if it is of the opinion that such institution does not fulfil the requirements laid down in sub-clause (a), pass an order refusing recognition to such institution for reasons to be recorded in writing:

Provided that before passing an order under sub-clause (b), the Regional Committee shall provide a reasonable opportunity to the concerned institution for making a written representation"

चूँकि बी0एड0 पाठ्यकम की मान्यता एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान की जाती है तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय बी0एड0 छात्रों की केवल परीक्षा सम्पन्न कराता है। इसलिये सम्बन्धित महाविद्यालयों के द्वारा मानको को पूरा नही करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एन0सी0टी0ई0 द्वारा ही किया जाना नियमसंगत है।

अत : स्थायी सम्बद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा कईबार सूचना मॉगने के उपरान्त भी किसी प्रकार की कोई सूचना या पत्राचार न करने के कारण सत्र 2019–2021 की होने वाली बी0एड0 काउन्सिलिंग में ऐसे महाविद्यालयों को सम्मिलित न कराया जाये, कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–
1. अधीक्षक कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

FORMAT FOR PARTICULARS OF STAFF TO BE SUBMITTED TO THE NRC, NCTE, NEW DELHI

PARTICULARS OF STAFF

Session ____________________

Name and address of the Institution:____________________ Course:____________________

Sl. No.	Name with Date of Birth Age	Attested photograph of the appointed staff	Whether SC/ST/OBC/other Category	Designation	B.Ed. Yes/No If yes, %age of Marks	M.Ed. Yes/No If yes, %age of Marks	M.A (Education) Yes/No If yes, %age of Marks	Master's Degree in school subject Yes/No If yes, %age of Marks & specify the subject	Subject of Teaching	Ph. D. (Education/ Specify the subject) Yes/No	Passed UGC NET or equivalent mentioned the same	Teaching Experience in Years	Teaching Experience in Recognized School/B.Ed. College (Enclose experience certificate from the Principal)	Date & Letter No. of approval from the Affiliating University	Date of initial appointment and NCTE Regulation under which he or she was appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I.	DETAILS OF TEACHING STAFF														
I(A)	PRINCIPAL/HOD														
I															
II	LECTURERS/ASSISTANT PROFESSOR (AS PER NCTE NORMS)														
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															

Con

)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

I PART TIME TEACHING STAFF (AS PER NCTE NORMS)

CERTIFICATE FROM THE MANAGDEMENT

The above information are true and correct.

) All appointments are on full-time and regular basis except those specified as part-time as per the NCTE norms. The academic staff of the institution (including part-time staff) is/shall be paid salary in such scale of pay as prescribed by the UGC/University/affiliating body from time to time through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the propose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.

i) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees. The institution shall follow all the norms of the NCTE as amended from time to time.

Name & Signature of the
Authorized Representative of the
Institution
With the seal

Date ____________________

ANNEXURE - F

FORMAT OF AFFIDAVIT ON Rs.100/ STAMP PAPER TO BE SUBMITTED ALONWITH THE REPLY TO SHOW CAUSE NOTICE

I ____________________ son/daughter/wife of Shri _________, the ______ (Chairman/President/Secretary (in case of Self Financed Pvt. Institution)______________________________ (Name of the Society/Trust/Name of the Govt. Body with complete address, pin code, phone No., Mobile No., E.Mail ID, etc.) or Head of Office/Registrar/Principal (in case of Govt. institution) of the __________ (Name of the Govt. Body with complete address, pin code, phone No., Mobile No., E.Mail ID, etc.), do hereby solemnly affirm and declare that I am authorised to make this affidavit on the ____________________ day of ______, 2019. That I am well conversant with all the facts and details, pertaining to ______________ (name of the institution) :-

(i) That our society had submitted an application for grant of recognition / permission to ____ Regional Committee, NCTE for ___ course vide application No. _____ / That our institution is recognised by ___ RC for ___ course vide No. ____ dated ____ **(Strike out whichever is not applicable)**

(ii) That the ____ Regional Committee had issued Show Cause Notice to our institution vide No. _____ dated ____.

(iii)That in response to the above Show Cause Notice, our institution is submitting the following submission.

a. ____________
b. ____________
c. ____________
d. ____________

DEPONENT

Verification

I ________ above named deponent do hereby verify that the information provided under para No. 1 to ____ including sub-paras wherever given are true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing is false or incorrect and nothing is concealed.

I do understand that in the event of any information provided as above if found incorrect the recognition of teacher education programme being run in my Institution/College/Department will be withdrawn and I will be prosecuted under relevant provision of IPC etc. against such misreporting/providing wrong information.

DEPONENT

Date

Place

75

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः–सम्ब0 / 8010 / 2019

दिनांकः– 19.01.2019

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव

CHACHA VISHAL SINGH KANYA MAHAVIDYALAYA PURA GOVERDHAN TEDI BAGYA, AGRA

(COLLEGE CODE - 335)

विषयः– बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुमोदन एवं अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु विनियमन 2014 लागू किया गया है उक्त विनियमन के प्रावधान के अनुसार आपके महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों के पठन पाठन हेतु एक यूनिट (50 छात्र) पर 08+03 (विशिष्ट विषय शिक्षक– फाईन आर्ट, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा) = 11 तथा दो यूनिट (100 छात्र) पर 16 शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना चाहिये था, किन्तु विनियमन लागू होने के 04 वर्ष बाद भी आपके महाविद्यालय द्वारा न तो कोर–फैकल्टी और न ही विशिष्ट विषयों यथा – फाइन आर्ट, संगीत, शारीरिक शिक्षा हेतु शिक्षक अनुमोदित कराये गये हैं जो कि विनियमन 2014 के अनुसार नियम विरूद्व है साथ ही माननीय कुलपति जी के दिनांक 16.11.2017 के आदेशानुसार महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों का अनुमोदन 05 वर्ष पूर्ण होने पर शासनादेश संख्या 2218 / सत्तर–2–2011–16(409) / 2010 दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में विश्वविद्यालय से पुनः अनुमोदन कराना अनिवार्य है, ऐसे कार्यरत शिक्षक जिनका अनुमोदन एक से अधिक महाविद्यालयों में है उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सभी महाविद्यालयों की लॉगिन पर विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या सम्ब0 / 4213 / 2017 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा सूचना अपलोड की गयी थी तथा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः एक पत्र संख्या सम्ब0 / 4361 / 2017 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा भी आपके महाविद्यालय में संचालित स्थायी बी0एड0 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न वॉछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय की लॉगिन पर सूचना अपलोड करायी गयी थी। परन्तु आपके द्वारा उपरोक्त पत्रों के सापेक्ष में किसी तरह की सूचना आजतक उपलब्ध नही करायी गयी, जो कि सम्बद्धता शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय प्रबन्धन / प्रशासन उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने में रूचि नही ले रहा है।

अत : आपको निर्देशित किया जाता है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी **Recognition Letter** एवं **Revised Letter** की फोटो प्रति एवं एन0सी0टी0ई के पत्र में उल्लिखित सी0ए0 द्वारा प्रमाणित **Academic Year 2014-15 से 2017-18** तक के सत्र की समस्त **Self Appraisal Report** की प्रति तथा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का पत्र अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदनार्थ हेतु प्रबन्ध समिति की पत्रावली, बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षक चयन हेतु विषय विशेषज्ञ प्राप्त करने हेतु दिनांक 30.01.2019 तक पत्रावली उपलब्ध करायें, एवं दिनांक 20.02.2019 तक उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये आंवटित सीटों के सापेक्ष शिक्षकों का चयन कराकर अनुमोदन हेतु पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा करें, अन्यथा आपके महाविद्यालय का नाम बी0एड0 काउन्सिलिंग सत्र 2019–21 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित नही किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. अधीक्षक कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सैक्टर–10, द्वारिका, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. ऐजेन्सी 2015–19 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को संलग्न सूची में अंकित महाविद्यालय की लोगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

O. I. G. S

Speed Post / Registered Post / Courier

EMS SPEED POST

ED301286679IN

35

If undelivered, please return to :

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarka,
New Delhi-110075
Ph.: 011-20892151, 011-20892152
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org